Email

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/429/अ0स0/3536   भोपाल दिनांक 22/01/2020

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक
   म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय, भोपाल/इंदौर/नर्मदापुरम/चंबल (मुरैना)/
   उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म.प्र.)

2. कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय
   भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा
   होशंगाबाद, मुरैना, खरगौन मंदसौर,सिवनी (म0प्र0)

विषय :– राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 31.12. 2019 की स्थिति में अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त करने बावत्।

––00––

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998 के नियम 54(3) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम में शासकीय सेवा में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल सम्पत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत किये जाने का निर्देश है। उपरोक्त उपनियम (1) चतुर्थ श्रेणी के सेवको पर लागू नहीं है। साथ ही इसमें यह भी उल्लेख किया गया है यदि कोई सेवक उपनियम–19 (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरूद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

राज्य शासन के निर्देशानुसार आंचलिक कार्यालय में एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सभी सेवको का पृथक–पृथ्क एवं सचिव, मंडी निरीक्षक,लेखापाल,सहायक उपनिरीक्षक का पृथक से विवरण मण्डी बोर्ड की बेबसाईट **www.mpmandiboard.org** पर दिनांक 31.01.2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों तथा समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि उनके अधीनस्थ कार्यरत् समस्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नही ।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय का यह दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ एवं मण्डी समिति में कार्यरत राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जानकारी मासिक समीक्षा बैठक मे अवगत करावेगें।

यह जानकारी प्रतिवर्ष मण्डी बोर्ड की बेबसाईट पर अद्यतन की जायेगी। बेबसाईट के लिये जानकारी उपलब्ध कराने में कोई तकनीकी कठिनाई हो तो इस संबंध में मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल से दूरभाष नंबर 0755–4270541 यथा मोबाईल नंबर 9425605243 पर सम्पर्क कर निवारण करायें साथ ही निर्धारित समय सीमा में वांछित जानकारी अपर संचालक (कार्मिक), मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजी जाना सुनिश्चित करें।

अतः आप अपने अधीनस्थ सभी सेवकों को उपरोक्त निर्देश से अवगत करायें एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– प्रपत्र ।

अपर संचालक(कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/429/अ0स0/3537 भोपाल दिनांक 22/01/2020

प्रतिलिपि :–

1. सहायक संचालक (मंडी कार्मिक) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक एवं लेखापाल की अचल संपत्ति जानकारी संकलित कर, मंडी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु चीफ़ प्रोग्रामर को निर्देशित करने का कष्ट करे।
2. श्री संदीप चौबे, चीफ प्रोग्रामर मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि सभी अधि0/कर्म0 के संबंध में चल/अचल संबंधी जानकारी बोर्ड की बेबसाईट पर अपलोड करायी जावे।

अपर संचालक(कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 20…………

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का जिस सेवा पर वह हो : - ……………………………………………………
2. वर्तमान धारित पद : ……………………………………………………… 3. वर्तमान वेतन : ……..………………………………… आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : माह जुलाई 20………
4. वर्तमान पद का वरिष्ठता क्रम : ………………………

उस जिले, अनुविभाग, परगना और ग्राम का नाम जहाॅ सम्पत्ति स्थित है.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वंय के नाम पर न हो तो वह बताईये कि यह किसके नाम पर है और शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीददार पट्टे पर बंधक पर उत्तराधिकारी से या अन्य किसी प्रकार से और प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

* जहाॅ लागू न हो उसे काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहाॅ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो तो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी :
म0प्र0 शासकीय कर्मचारी (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ....
नाम : ……………………………………
पद : …………………………